न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 05/2020

निर्णय दिनांक :- 23.02.2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गंगाराम पुत्र खुमाण जाति-धोबी, नि-ताणा तहसील- भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. तहसीलदार भूपालसागर

राजस्व प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

* निर्णय *

प्रार्थी स्वयं की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है -

1. यह है कि राजस्व ग्राम ताणा मे कृषि भूमी आ०न० 13 रकबा 0.96 हैक्टे० प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी को प्रार्थी आवासीय रूपान्तरण करवाना चाहता है।

2. यह है कि उक्त आराजी मे पहुँच के लिए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी की आ०न० 13 के आगे आ०न० 13/612 किस्म गैर मुमकिन बिलानाम भूमी स्थित है। अगर उक्त रास्ते के लिए सरकार मे कोई शुल्क जमा करवाना हो तो प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा करवा दिया जायेगा।

अतः न्याय हित मे उक्त आ०न० 13 मे रास्ते हेतु आ०न० 13/612 किस्म गै०मु० बिलानाम से राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.24 10:48:01 IST
Reason: SelfAttested

23/2/2021
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

—— लगातार ——

Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भूपालसागर को जरिये सम्मन तलब किया। तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गुजरो की भागल मे स्थित अपने खेत पर जाने हेतु प्रार्थी की खातेदारी आ०न० 13 रकबा 0.96 हैक्ट० मे पहुँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुख्य सड़क और प्रार्थी की खातेदारी आराजी के मध्य बिलानाम आ०न० 13/612 स्थित है। इस आराजी से होकर प्रार्थी अपनी आराजी पर आता जाता है। प्रार्थी द्वारा चालान न० 97/24.10.2019 GRN 34580139 से नियमानुसार 10868 रुपये का जमा करवाया जा चुका है।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। प्रार्थी स्वयं ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी की आ०न० 13 मे जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी नियमानुसार रास्ते के लिए शुल्क भी जमा करवाने को तैयार है। अत: प्रार्थी को अपनी आ०न० 13 मे आने-जाने हेतु आ०न० 13/612 मे से 25 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को बिलानाम रास्ता दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा की है।

अत: उभयपक्ष बहस एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 07-08-19 के प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही के रेखांकित भाग को हाल नक्शा ट्रेस मे रास्ता कायम कर तरमीम करते हुए बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावे। तहसीलदार भूपालसागर नियमानुसार प्राप्त राशि राजको[illegible] करवा कर अविलम्ब उक्त रास्ता राजस्व अभि[illegible] व हाल [illegible] ट्रेस मे अमल दरामद करे।

पत्रावली [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार भूपालसागर को उक्त आदेश की तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.21 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.24 10:48:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner